स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 381, दिनांक 27–12–2024

सीबीआई/नारकोटिक्स/क्राईम ब्रांच के अधिकारी बनकर Digital Arrest कर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार।

दिनांकः 26–12–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को सीबीआई/नारकोटिक्स/क्राईमब्रांच के अधिकारी बनकर Digital Arrest कर ठगी करने वाले संगठित गिरोह के एक सदस्य को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– कृष्ण कुमार उर्फ सुनील पुत्र भरत सिंह निवासी म0न0 576 ग्राम जलालाबाद पोस्ट जलालाबाद थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद, उम्र 27 वर्ष, शिक्षा– बीएससी (बीटेक ड्रापआउट)।

बरामदगी–

1– 01 अदद मोबाइल फोन।
2– 06 अदद डेबिट कार्ड।
3– 03 अदद चेकबुक।
4– 02 अदद एटीएम किट।
5– 01 अदद बैंक एकाउंट किट।
6– 01 अदद हस्ताक्षरित चेक।
7– 01 अदद इंटरनेट बैंकिग सिक्योरिटी कोड डिवाइस।
8– 02 अदद सिम कार्ड विभिन्न कर्पोरेट बैक खातों से लिंक।
9– 202 अदद पेज WhatsApp के स्क्रीनशाट जिनमें ठगी में प्रयोग किये गये बैंक खातें की किट से सम्बन्धित जानकारी व बैक खाते से लिंक सिम वाली डिवाइस में एपीके फाइल व उसको डाउनलोड करने से सम्बन्धित चैट।
10– रू 2040/ नकद।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः– **स्थानः** अवध हास्पिटल चौराहे से हरदोई रोड पर लगभग 200 मीटर आगे लखनऊ। दिनांकः 26–12–2024 समयः 21:40 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से सीबीआई/नारकोटिक्स/क्राईम ब्रांच के अधिकारी बनकर Digital Arrest कर ठगी करने वाले संगठित गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि डा अशोक सोलंकी निवासी लखनऊ ने थाना साइबर क्राइम, लखनऊ में मुकदमा पंजीकृत कराया कि उनको सीबीआई/नारकोटिक्स/

क्राईमब्रांच के अधिकारी बनकर दो दिन तक जांच के नाम पर Digital Arrest कर 48.00 लाख रूपये की ठगी की गयी।

उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर विश्लेषण एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए दिनांक 14–11–2024 को एसटीएफ टीम द्वारा गुरूग्राम हरियाणा से 05 अभियुक्तों, दिनांक 16–11–2024 को लखनऊ से 02 अभियुक्तों व दिनांक 03–12–2024 को लखनऊ से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसी क्रम में दिनांक 26–12–2024 को अभियुक्त कृष्ण कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण कुमार ने पूछताछ में बताया कि वर्ष–2016 में आधुनिक इंस्टीट्यूट दुहाई गाजियाबाद में बीटेक में एडमीशन लिया था, परन्तु एक वर्ष बाद बीटेक ड्रापआउट कर मोनार्ड युनिवर्सिटी हापुड से बीएससी किया। अक्टूबर 2023 मे उसकी मुलाकात राहुल चौहान जो मुरादनगर गाजियाबाद में जेके मेडिकल स्टोर चलाते थे से हुई थी। राहुल ने उसको गेमिंग ,स्कैमिंग, मिक्सिंग व स्टाक पर काम करने के बारे में बताया। जिसके लिए कार्पोरेट एकाउन्ट को डिटेल/किट **(एकाउन्ट होल्डर के बैंक का एकाउन्ट नं0, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी, कार्पोरेट आईडी, इंटरनेट बैंकिग लॉगिन आईडी–पासवर्ड, ईमेल आईडी–पासवर्ड, आधार नं0, पैन नं0, चेक बुक, एटीएम कार्ड व एसएमएस अलर्ट नम्बर का सिम)** के साथ किराये/कमीशन पर लेना है। कार्पोरेट एकाउन्ट को रेंट पर लेने के लिए उसने टेलीग्राम के माध्यम से राजकुमार व पंकज सुरेला से सम्पर्क किया। यह लोग उसको कमीशन पर कार्पोरेट बैंक एकाउन्ट की डिटेल/किट उपलब्ध कराने लगे। बैंक खाते से लिंक मोबाइल नम्बर की सिम को अपने मोबाइल में डालकर एपीके फाइल के माध्यम से एसएमएस डाइवर्जन करने का एप डाउनलोड करता था। इन बैंक खातों में इसने राहुल के माध्यम से मुहफिजुद्दीन से सम्पर्क कर साइबर ठगी का काम करने लगा। मुहफिजुद्दीन कम्बोडिया में मौजूद चाइनीज गैंग के सम्पर्क में था। इस गिरोह द्वारा डिजिटल अरेस्ट, स्टाक फ्राड, गेमिंग फ्राड आदि के माध्यम से भरतीय लोगों को अपने जाल में फंसाकर, इसके द्वारा (किराये/कमीशन) उपलब्ध कराये गये बैंक खातों में रूपये डलवाने का काम किया जाता था। इन बैंक खातों मे ठगी से जो रूपये आते थे उसमें से मुहफिजुद्दीन इनका कमीशन काट कर शेष रूपयों को यूएसडीटी में कनवर्ट कर चाइनीज गिरोह के वालेट पर भेज देता था।

अगस्त 2024 में डा0 अशोक सोलंकी लखनऊ के साथ की गयी ठगी के सम्बन्ध में पूछने बताया कि राजकुमार ने दिनांक 12–13 अगस्त 2024 को व्हाटसअप काल के माध्यम से इसको बुलाया था। तब यह सेक्टर 52 के एक होटल में गया। वहा पर कार्पोरेट बैक खाता धारक नागेंन्द्र पाठक से उनके बैंक खाते की एसएमएस एलर्ट सिम लेकर उसको अपने मोबाइल में लगाकर उसमें एपीके फाइल के माध्यम से वेलकम एप डाउनलोड किया, जिससे एकाउंट में ओटीपी आने लगा। इसके बाद यह एपीके डिवाइस, बैक खाते का इंटरनेट बैंकिग आईडी–पासवर्ड, एटीएम कार्ड चेकबुक आदि लेकर होटल शिवम मोहन नगर गाजियाबाद राहुल के पास गया। वहा पर यह स्वयं व राहुल ने व्हाटसअप काल के माध्यम से मुहफिजुद्दीन से सम्पर्क कर चाइनीज गिरोह के माध्यम से उस बैंक खाते में साइबर फ्राड का लगभग 8.8 करोड रूपये का ट्रांजेक्शन कराया। जिसमें से 12 लाख रूपये राजकुमार की टीम व शेष रूपयों मे से मुहफिजुद्दीन ने इनका कमीशन काट कर बचे रूपयों को यूएसडीटी में कनवर्ट कर चाइनीज गिरोह को उनके वालेट पर भेज दिया।

इस गिरोह द्वारा वीके ट्रेडिंग के बैंक खाते में भी सिरसा हरियाणा के एक व्यक्ति से लगभग 22 लाख की ठगी की थी। इस कारण 28 अगस्त 2024 को इसे, राहुल व मुहफिजुद्दीन को हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। लगभग दो माह जेल में रहने के बाद इसकी व मुहफिजुद्दीन की जमानत हो गयी। राहुल अभी भी जेल में बंद है। जेल से छूटने के बाद यह और मुहफिजुद्दीन फिर से गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उपरोक्त तरीके से साइबर ठगी

का काम करने लगे। यह अभी हाल ही में 09 बैंक खातों में साइबर ठगी का प्रयास किया था। उनमें से एक बैंक खाते में साइबर फ्राड के माध्यम से दिनांक 20, 21 व 23 दिसम्बर में क्रमशः **रू 64,21,775/– 47,78,236/– 21,64,286/– आये।**

अभियुक्त द्वारा बताये गये बैक खाते, वालेट की जानकारी/परीक्षण व गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्त से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जोयेगा।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 142/2024 धारा 319(2), 318(2), 338, 336(2), 340, 61(2)(ए) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम लखनऊ में दाखिल कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।